किशोर ग्रन्थमाला ४८

अशौचनिर्णयः

भाषानुवादसहितः

कृष्णदास अकादमी, वाराणसी

किशोर ग्रन्थमाला
४८
००००

॥ श्रीः ॥

त्र्यम्बककृतः

अशौचनिर्णयः

भाषानुवादसहितः

संशोधकः

पण्डित नागेश्वर पन्तः

कृष्णदास अकादमी, वाराणसी

अशौचनिर्णयस्य विषयसूची

(हिन्दी अनुवाद सहित)

अथातिक्रान्ताशौचम्
(अतिक्रान्ताशौच)

अथाशौचसम्पातः
(एक सौरी या सूतक के बीच में दूसरी सौरी या सूतक)

अथ रजोदर्शनम्
(स्त्री का मासिक धर्म)

परिशिष्टम्

॥ श्रीः ॥

अशौचनिर्णयः

गणाधिपं नमस्कृत्य प्रत्यूहाद्रिपविं कविम् ।
त्र्यम्बकेणाशुबोधाय क्रियतेऽशौचनिर्णयः ॥ १ ॥

विघ्नरूपी पर्वत का विनाश करने वाले प्रज्ञावान श्रीगणेश जी को नमस्कार करके त्र्यम्बक पण्डित अशौच का शीघ्र बोध होने के लिये यह अशौचनिर्णय नामक ग्रन्थ बनाते हैं ।।१।।

अर्थतः शब्दतश्चेह पौनरुक्त्यं न दुष्यति ।
स्फुटबोधाय बालानां ग्रन्थोऽयं रच्यते यतः ॥ २ ॥

अर्थ अथवा शब्द का पुनरुक्तिदोष इसमें नहीं मानना चाहिये, क्योंकि बालकों को जिससे ठीक-ठीक बोध हो, इसीलिये यह ग्रन्थ रचा गया है ।।२।।

अशौचाधिकारः

(अशौच में अधिकार)

अत्र प्रागुपनयनात्कामचारकामवादकामभक्षा[1] इति गौतमोक्तेरनुपनीतस्य[2] पित्रादिसंस्कारं विनाऽशौचे नाधिकारः ।

१–कामो नाम प्रतिबन्धराहित्यं, चारो नाम सञ्चारः, वादो नाम भाषणं, भक्षं नाम भोजनम् ।

२–अनुपनीतस्य एतानि प्रतिबन्धरहितानीत्यर्थः ।

उपनयनोत्तरमपि ब्रह्मचारिणः पित्राद्यन्त्यकर्मकरण एवाशौचाधिकारो नान्यत्र । तस्माद् द्विजानां समावर्त्तनोत्तरं निरंकुशोऽशौचाधिकारः । स्त्रीशूद्रयोस्तु विवाहस्योपनयनस्थानापन्नत्वेन विवाहोत्तरमेवाशौचाधिकारः ।

'यज्ञोपवीत के पहले बालक जो चाहे खाय, करे और बोले'—गौतम ऋषि के इस वचन से यज्ञोपवीत के पहले बालक को पिता-माता आदि की क्रिया के अतिरिक्त और किसी अशौच[1] में अधिकार नहीं है। यज्ञोपवीत होने पर भी ब्रह्मचारी का केवल पिता आदि की क्रिया करने में अशौच का अधिकार है, दूसरे में नहीं। इसलिये द्विजों को (अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य—इन तीनों को) समावर्त्तन[2] के बाद अशौच में पूरा अधिकार है। लेकिन औरत और शूद्र को विवाह के बाद ही अशौच में अधिकार है, क्योंकि उनका विवाह ही यज्ञोपवीत की जगह समझा जाता है।

अथ जननाशौचम्

(सौरी)

स्रावलक्षणम्, स्रावे चाशौचम्

(गर्भस्राव का लक्षण और उसके अशौच)

तत्र गर्भिण्याः मासचतुष्टयपर्यन्तं गर्भनाशः स्राव इत्युच्यते।

१–अशौच २ प्रकार का होता है—(१) जननाशौच, जिसको लोक में 'सौरी' कहते हैं; (२) मरणाशौच, जिसको लोकभाषा में 'सूतक' कहते हैं। और केवल छूत भी कहते हैं।

२–गुरु के घर से ब्रह्मचारी व्रत अथवा पढ़ना अथवा दोनों समाप्त करके गुरु से विवाह की आज्ञा लेकर स्नान आदि जो संस्कार वह करता है, उसको समावर्तन कहते हैं।

तदा गर्भिण्याः मासत्रयपर्यन्तं त्रिरात्रं चतुर्थमासे चतूरात्रमाशौचम् अस्पृश्यत्वं च। पित्रादिसपिण्डानां स्रावमात्रे स्नानाच्छुद्धिः।

अगर चार महीने तक स्त्री का गर्भ गिर जाय तो उसे गर्भस्राव कहते हैं। अगर ३ महीने के भीतर गर्भ गिरे तो स्त्री को ३ दिन का सूतक लगता है, अगर ४ महीने का गिरे तो ४ दिन का लगता है और छूत भी लगता है। पिता आदि सपिण्डों[1] की नहाने से शुद्धि हो जाती है।

पातलक्षणम्, पाते चाशौचम्

(गर्भपात का लक्षण और उसके अशौच)

गर्भिण्याः पञ्चमषष्ठमासयोर्गर्भनाशः पात इत्युच्यते। तत्र गर्भिण्याः माससमसंख्यया पञ्च षट् च दिनानि क्रमेणास्पृश्यत्वावहमाशौचम्। पित्रादिसपिण्डानां तु त्रिरात्रं जननाशौचं, मृताशौचं तु नास्ति। इदमेतावत्पर्यन्तं सर्ववर्णसाधारणं वयोवस्थानिमित्तत्वात्।

अगर पाँच या छ महीने का पेट गिरे तो उसे गर्भपात कहते हैं। ५ महीने का गिरे तो ५ दिन का और ६ महीने का गिरे तो ६ दिन का स्त्री को सूतक और छूत लगता है। पिता आदि सपिण्डों को ३ दिन की सौरी लगती है, सूतक नहीं।

(अब तक जो अशौच कहा गया है, वह चारो वर्णों में समान होता है)

सप्तमासप्रभृतिप्रसवे चतुर्वर्णानामाशौचम्

(सात महीने के बाद लड़का होने पर चारो वर्णों के अशौच की विधि)

गर्भिण्याः सप्तममासप्रभृति प्रसवे सर्वेषां मातृपित्रादीनां सपिण्डानां विप्राणां दशाहं, क्षत्रियाणां द्वादशाहं, वैश्यानां

१–एक वंश के पहले से सातवें तक सात के पुरुष सपिण्ड कहलाते हैं।

२-सङ्करजातीनां शूद्रवत्। विज्ञानेश्वरस्तु नैषामाशौचं किंतु स्नानमात्रमित्याह, सर्ववर्णेषु दशाहं वा।

पञ्चदशाहं, शूद्राणां मासं, [1]सच्छूद्राणां मासार्धं जननाशौचम् । शिशोर्मृताशौचं तु नास्ति । सापत्नमातुः सर्वत्र पितृवत् ।

सातवें महीने के बाद अगर लड़का पैदा हो तो माता-पिता आदि सब सपिण्डों को अगर ब्राह्मण हो तो १० दिन, क्षत्रिय हो तो १२ दिन, वैश्य हो तो १५ दिन, शूद्र [2] हो तो एक महीना और सच्छूद्र[2] हो तो १५ दिन की सौरी लगती है। बच्चा के मरने का कोई सूतक नहीं लगता। सौतेली माता को सभी में लड़के के पिता के समान अशौच लगता है।

जननाशौचेऽस्पृश्यत्वादि

(सौरी में छूत इत्यादि)

जननाशौचे गर्भिण्याः दशाहमस्पृश्यत्वम् । पितुः सापत्नमातुश्च स्नानात् प्रागस्पृश्यत्वम् । स्नानोत्तरं स्पृश्यत्वमेव । किं तु सर्वत्र सपिण्डानां कर्मानधिकारमात्रम् । तत्रापि नालच्छेदनात्पूर्वं जातकर्मदानादौ पितुरधिकारः । एवं प्रथमषष्ठदशमदिवसेषु जन्मदाख्यदेवतापूजायां च पितुर्वचनादधिकारः । कूटस्थमारभ्य सप्तपुरुषपर्यन्तं सपिण्डाः, ततः सप्त सोदकाः, ततः सप्त सगोत्राः । सोदकानां तु त्रिरात्रमाशौचम् । सगोत्राणां स्नानमात्रम् ।

सौरी में माता को १० दिन का छूत लगता है,पिता को और सौतेली माता को नहाने तक छूत रहता है, बाद में नहीं । लेकिन सब सौरी में सपिण्डों को

१—सङ्कर जातियों में शूद्र के समान अशौच होता है। विज्ञानेश्वर कहते हैं कि इनको अशौच नहीं लगता, सिर्फ नहान लगता है। सब जातियों में १० दिन का अशौच लगता है—यह भी एक मत है।

२—ब्राह्मण आदि की सेवा आदि धर्म्म में जो शूद्र लगे रहते हैं, वे सच्छूद्र कहलाते हैं।

देवता और पितरों का कार्य करना मना है, उसमें भी नाल कटने के पूर्व पिता को जातकर्म्म[1] आदि कर्म्म में अधिकार है। ऐसे ही पिता को प्रथम, छठवें और दसवें दिन जन्मदाख्य[2] देवता के पूजन में शास्त्र के वचन से अधिकार है। प्रथम से सातवें तक सात पुरुष सपिण्ड कहलाते हैं, उससे ऊपर के सात पुरुष सोदक कहलाते हैं और उसके ऊपर के सात सगोत्र कहलाते हैं । सोदकों को ३ दिन की सौरी लगती है और सगोत्रों को नहाने से ही शुद्धि हो जाती है।

गर्भिण्याः दशाहोत्तरं पुत्रोत्पत्तौ विंशतिदिनानि, कन्योत्पत्तौ मासपर्यन्तं कर्मानधिकारः ।

लड़का पैदा होने के १० दिन बाद २० दिन तक और लड़की पैदा होने के १० दिन बाद १ महीना तक माता को देवता और पितरों का कार्य करना मना है।

अथ मृताशौचम्

(सूतक)

शिशुमरणेऽशौचम्

(बच्चा मरने में शौच)

तत्र तद्वतामस्पृश्यत्वं कर्मानधिकारश्चेत्युभयं भवति । मृतजाते शिशौ सर्वेषां सपिण्डानां दशाहं जननाशौचं, मृताशौचं तु नास्ति ।

सूतक में देव जौर पितृकर्म का अधिकार नहीं रहता और छूत भी

१—उत्पन्न हुए लड़के का मुँह देख कर पिता जो नदी में स्नान आदि कर्म्म करता है, उसको जातकर्म्म कहते हैं।

२—छट्ठी के दिन जिस देवता का पूजन होता है, उसे जन्मदाख्य कहते हैं।

रहता है। मरा हुआ लड़का या लड़की उत्पन्न हो तो सपिण्डों को १० दिन की सौरी लगती है, सूतक नहीं।

नालच्छेदनात्पूर्वं शिशौ मृते मातुर्दशाहम्। पित्रादिसपिण्डानां त्रिरात्रं जननाशौचं, मृताशौचं तु नास्ति।

लड़का जीवित उत्पन्न हो, लेकिन नाल कटने के पहले ही मर जाय तो माता को १० दिन का सूतक लगता है और पिता आदि सपिण्डों को ३ दिन की सौरी लगती है, सूतक नहीं लगता।

नालच्छेदनादूर्ध्वं शिशुमरणे दशाहं जननाशौचं, सर्वेषां सपिण्डानामस्ति, मृताशौचं तु नास्ति।

नाल कटने के बाद मरे तो १० दिन की सौरी सभी सपिण्डों को लगती है, सूतक नहीं।

दशाहानन्तरं नामकरणात्प्राक् शिशुमरणे स्नानमात्रेण सपिण्डानां शुद्धिः। मातापित्रोस्त्रिरात्रं पुत्रमृतौ। कन्यामृतौ तु एकाहः। नाम्नः पूर्वं खननमेव नित्यं, नोदकदानादि। अलङ्करणं तु सर्वत्र भवति।

लड़का उत्पन्न होने के १० दिन बाद और नामकरण के पहले मरे तो सपिण्डों की नहाने से ही शुद्धि हो जाती है; लेकिन माता-पिता को ३ दिन का सूतक लगता है और अगर लड़की हो तो १ दिन का। नामकरण के पहले मरे तो उसे फूंके नहीं; गाड़ दे (अथवा नदी में डाल दे) और तिलाञ्जलि न दे। मुर्दे को नहलाना और गन्ध आदि लगाना सब में बराबर है।

नामकरणोत्तरं वर्षत्रयपर्यन्तं दाहखननयोर्विकल्पः।

नामकरण के बाद और ३ वर्ष के भीतर अगर मरे तो चाहे उसे जलावे, चाहे गाड़ दे।

पुत्रमरणेऽशौचम्

(लड़का मरने में अशौच)

नाम्नोत्तरं दन्तोत्पत्तेः प्राक् पुत्रमरणे दाहे सपिण्डानामेकाहः, खनने तु स्नानाच्छुद्धिः, मातापित्रोरुभयत्रापि त्रिरात्रम्। कन्यामृतौ तु त्रिपुरुषसपिण्डानामुभयत्रापि स्नानाच्छुद्धिः। मातापित्रोरुभयत्रापि एकाहः।

नामकरण के बाद और दांत निकलने के पूर्व मरे और जलाया जाय तो सपिण्डों को १ दिन का सूतक लगता है, अगर फेंक दिया जाय तो नहाने से ही शुद्धि हो जाती है। माता-पिता को दोनों ही हालत में ३ दिन का सूतक लगता है। अगर ऐसी लड़की मरे तो तीन पुरुष तक के सपिण्डों की केवल नहाने ही से शुद्धि होती है और माता-पिता को १ दिन का सूतक लगता है।

दन्तोत्पत्तेरूर्ध्वं वर्षत्रयपर्यन्तं पुत्रमरणे दाहे खनने वा सपिण्डानामेकाहः, मातापित्रोस्त्रिरात्रम्। कन्यामृतौ तु त्रिपुरुषसपिण्डानामुभयत्रापि स्नानाच्छुद्धिः, मातापित्रोस्त्रिदिनमाशौचम्।

अगर दांत निकलने के बाद और ३ वर्ष के भीतर लड़का मरे तो माता-पिता को ३ दिन का और सपिण्डों को १ दिन का सूतक होता है। अगर लड़की मरे तो माता-पिता को ३ दिन का सूतक लगता है और तीन पुरुष के सपिण्डों की स्नान से शुद्धि होती है।

प्रथमवर्षादौ कृतचूड़स्य पुत्रस्य मरणे पित्रादिसर्वसपिण्डानां त्रिदिनमाशौचं नियतं दाहश्च नियतः।

अगर तीन वर्ष के भीतर मुण्डन हो गया हो तो पिता आदि सब सपिण्डों को उस लड़के के मरने का ३ दिन का सूतक लगता है और मुर्दा जलावा जाता है।

त्रिवर्षोर्ध्वं कृतचूड़स्याकृतचूड़स्य वा पुत्रस्य मरणे प्रागुपनयनात्पित्रादिसर्वसपिण्डानां त्रिदिनमाशौचं दाहश्च नियतः। उदकदानादि तूष्णीम्। कृतचूड़स्य भूमौ पिण्डदानं तूष्णीम्।

मुण्डन हुआ हो अथवा न हुआ हो, तीन वर्ष से ऊपर और यज्ञोपवीत होने के पूर्व अगर लड़का मरे तो पिता आदि सब सपिण्डों को ३ दिन का सूतक लगता है और मुर्दा जलाया जाता है। तिलाञ्जलि बिना मंत्र के होती है। मुण्डन होने के बाद अगर लड़का मरे तो खाली जमीन पर बिना मंत्र पढ़े पिण्डदान जरे।

कन्यामरणेऽशौचम्

(लड़की मरने में अशौच)

कन्यायाः वर्षत्रयानन्तरं वाग्दानात्प्राक् मरणे त्रिपुरुषसपिण्डानामेकाह, मातापित्रोस्त्रिदिनं, दाहोदकदानादि तूष्णीमेव।

तीन वर्ष के ऊपर की लड़की, जिसका विवाह पक्का न हुआ हो, मरे तो माता-पिता को ३ दिन का सूतक लगता है और तीन पुरुष तक के सपिण्डों को १ दिन का। तिलाञ्जलि इत्यादि विना मन्त्र के होता है।

वाग्दानोत्तरं विवाहत्प्राग् मृतासु कन्यासु भर्तृकुले पितृकुले च सप्तपुरुषसपिण्डानां पित्रादीनां सर्वेषां त्रिदिनमाशौचम्। दाहोदकदानादि तूष्णीम्।

विवाह निश्चित होने के बाद और विवाह होने के पूर्व अगर लड़की मरे तो पति के कुल के और पिता के कुल के सात पुरुष के सब सपिण्डों को ३ दिन का सूतक लगता है और दाह-तिलाञ्जलि इत्यादि बिना मंत्र के होता है।

उपनयनोत्तरं मृतस्य पुरुषस्य सर्वेषां सपिण्डादीनां विप्राणां दशाहम्। क्षत्रियाणां द्वादशाहम्। वैश्यानां पञ्चदशाहम्। शूद्राणां मासम्। सच्छूद्राणां मासार्द्धम्।[1] सोदकानां त्रिरात्रम्। गोत्रजानां स्नानाच्छुद्धिः।

---

१ तथा चाङ्गिराः—सर्वेषामेव वर्णानां सूतके मृतके तथा।
दशाहाच्छुद्धिरेतेषामिति शातातपोऽब्रवीत्॥
गारुडेऽपि- सर्वेषामेव वर्णानां सूतके मृतकेऽपि वा।
दशाहाच्छुद्धिरित्येष कलौ शास्त्रस्य निश्चयः॥

यज्ञोपवीत होने के बाद जो मरे उसके सपिण्डों को अगर ब्राह्मण हो तो १० दिन का, क्षत्रिय हो तो १२ दिन का, वैश्य हो हो तो १५ दिन का, शूद्र हो तो १ मही नाका और सच्छूद्र हो तो १५ दिन का सूतक लगता है;[1] सोदकों को ३ दिन का सूतक लगता है और गोत्रियों की नहाने से ही शुद्धि हो जाती है।

विवाहोत्तरं कन्यायाः पितृगृहे मरणे मातापित्रोः सोदरभ्रातुश्च त्रिरात्रम्। पितृव्यादीनामेकाहः।

विवाह होने पर पिता के घर अगर लड़की मरे तो माता-पिता और सगे भाई को ३ दिन का सूतक लगता है तथा चाचा वगैरह को १ दिन का।

ऊढायाः कन्यायाः पितृगृहे प्रसवे मातापित्रोस्त्रिरात्रम्। सोदरस्यैकरात्रम्। पितृव्यादीनामेकाह इति केचित्।

विवाहिता लड़की को अगर पिता के घर लड़का हो तो उसके माता-पिता को ३ दिन, सगे भाई को १ दिन और चाचा वगैरह को १ दिन की वृद्धि लगती है—ऐसा किसी-किसी का मत है।

ऊढायाः कन्यायाः पतिगृहे प्रसवे पित्रादीनामाशौचं नास्ति।

विवाहिता लड़की को अगर पति के घर लड़का हो तो उस लड़की के पिता आदि को सौरी नहीं लगती है।

ऊढायाः कन्यायाः पतिगृहे मरणे मातापित्रोस्त्रिरात्रम्।

विवाहिता लड़की अगर अपने ससुराल में मरे तो उसके माता-पिता को ३ दिन का सूतक लगता है।

१—कोई-कोई ऋषि के मत से सब वर्णों में १० दिन का अशौच होता है।

मातापित्रादिमरणेऽशौचम्

(माता-पिता आदि के मरने में अशौच)

मातापित्रोर्मरणे ऊढपुत्र्यास्त्रिरात्रं दशाहान्तम्[२] । दशाहोर्ध्वं कालान्तरे वत्सरान्तेऽपि पक्षिणी । अत्रैव अतिक्रान्ताशौचं ब्रह्मवचनाद्भवति नान्यत्र ।

माता-पिता के मरने की खबर अगर १० दिन के भीतर विवाहिता लड़की को पता चले तो उसको ३ दिन का सूतक लगता है, उसके बाद कभी साल भर के बाद भी मालूम हो तो १।। दिन का सूतक लगता है। यह अतिक्रान्ताशौच ऐसे छोटे अशौच में ब्रह्मवचन से सिर्फ लड़की को होता है, दूसरे को नहीं ।

भ्रातृभगिन्योः परस्परगृहमरणे परस्परस्य त्रिरात्रम् । गृहान्तरमृतौ तु परस्परस्य पक्षिणी ।

भाई बहिन के घर या बहिन भाई के घर मरे तो ३ दिन का और दूसरे जगह मरे तो १।। दिन का सूतक लगता है ।

मातुलमरणे भगिन्यपत्यस्य पक्षिणी । उपकारकमातुलमरणे तु त्रिरात्रम् ।

मामा मरे तो भाञ्जा-भाञ्जी को १।। दिन का सूतक लगता है, अगर मामा ने पालन-पोषण किया हो तो ३ दिन का ।

मातुलान्याः मरणे भर्तृभगिन्यपत्यस्य पक्षिणी ।

मामी मरे तो १।। दिन का सूतक लगता है ।

उपनीतभागिनेयमरणे मातुलस्य मातुलभगिन्याश्च त्रिरात्रम् । अनुपनीते मृते तु मातुलस्य मातुलभगिन्याश्च पक्षिणी ।

यज्ञोपवीत होने के बाद भांजा मरे तो मामा और मौसी को ३ दिन का सूतक लगता है और यज्ञोपवीत होने के पूर्व मरे, तो १।। दिन का ।

२—दशाहमध्य इत्यर्थः ।

मातामहमरणे दुहित्रपत्यस्य त्रिरात्रम् ।

नाना मरे तो नाती-नतिनी को ३ दिन का सूतक लगता है ।

दौहित्रमरणे मातामहस्य मातामह्याश्च त्रिरात्रम् । अनुपनीते मृते तु मातामहस्य मातामह्याश्च पक्षिणी ।

यज्ञोपवीत हुआ नाती मरे तो नाना-नानी को ३ दिन का सूतक लगता है और यज्ञोपवीत के पहले मरे तो १।। दिन का ।

मातामह्यां मृतायां दुहित्रपत्यस्य पक्षिणी ।

नानी मरे तो नाती—नतिनी को १।। दिन का सूतक लगता है ।

श्वश्रूश्वशुरयोर्मृतौ सत्यां जामातुः सन्निधौ त्रिरात्रम्, असन्निधौ पक्षिणी । ग्रामान्तरे चैकरात्रम् ।

सास या ससुर मरे तो दामाद को अगर उनके पास रहे तो ३ तो दिन का, नहीं तो १।। दिन का सूतक लगता है । अगर दूसरे गांव में रहे तो १ दिन का ।

जामातरि मृते तु श्वश्रूश्वशुरयोः स्नानाच्छुद्धिः । एकाहमाशौचमिति केचित् ।

दामाद मरे तो सास—ससुर की नहाने से शुद्धि होती है; १ दिन का सूतक लगता है—ऐसा भी कोई-कोई कहते हैं ।

श्यालके मृते भगिनीभर्तुः एकाहः । श्यालकसुतमरणे तु स्नानाच्छुद्धिः ।

साला मरे तो बहनोई को १ दिन का सूतक लगता है । साले का लड़का मरे तो नहाने से शुद्धि हो जाती है ।

पितृष्वसरि मृतायां भ्रात्रपत्यस्य पक्षिणी ।

बूआ मरे तो भतीजा—भतीजी को १।। दिन का सूतक लगता है ।

मातृष्वसरि मृतायां स्वस्रपत्यस्य पक्षिणी।

मौसी मरे तो भाञ्जा–भाञ्जी को १॥ दिन का सूतक लगता है।

आत्मनः पितृष्वसृमातृष्वसृमातुलपुत्राः आत्मबान्धवाः, पितुः पितृष्वसृमातृष्वसृमातुलपुत्राः पितृबान्धवाः, मातुः मातृष्वसृपितृष्वसृमातुलपुत्राः मातृबान्धवाः—एते त्रिविधा बान्धवाः। बन्धुत्र ये एतेषु मृतेषु पक्षिणी। पितृष्वस्रादिकन्यानामूढानां मरणे तु एकाहः।

अपना फुफेरा,मौसेरा अथवा ममेरा भाई,वैसे ही अपने पिता का फुफेरा, मौसेरा अथवा ममेरा भाई, अथवा माता का फुफेरा, मौसेरा या ममेरा भाई मरे तो इनका ३ दिन का सूतक लगता है। अगर इनकी बहिन मरे तो १॥ दिन का।

दत्तकमृतौ पूर्वापरपित्रोस्त्रिरात्रम् । सपिण्डानामेकाहः।

दत्तक[1] मरे तो उसके जन्म देने वाले माता-पिता और गोद लेने वाले माता-पिता सबको ३ दिन का सूतक लगता है। सपिण्डों को १ दिन का।

पूर्वापरपित्रोर्मृतौ दत्तकस्य त्रिरात्रम्।

दत्तक को उसके जन्म देने वाले और गोद लेने वाले माता-पिता के मरने का ३ दिन का सूतक लगता है।

दत्तकस्य पुत्रपौत्राणां मरणे जनने वा सपिण्डानामेकाहः।

दत्तक को लड़का वगैरह पैदा हो या मरे तो गोद लेने वाले के सपिण्डों को १ दिन का सूतक लगता है।

सपिण्डे पुत्रीकृते दत्तके मृते तु सपिण्डानां दशाह एव।

अगर दत्तक किसी सपिण्ड का ही लड़का हो तो सपिण्डों को उसके मरने का सूतक १० दिन का होता है।

१–दूसरे का लड़का, जो शास्त्रविधि से गोद लिया जाता है, उसको दत्तक कहते हैं।

आचार्यमरणे शिष्यस्य त्रिरात्रम्। तत्पुत्रपत्न्योर्मरणे एकाहः। उपनीयाध्यापक आचार्य इत्युच्यते। वेदैकदेशाध्यापक उपाध्यायः। तन्मरणे शिष्यस्यैकरात्रम्।

आचार्य के मरने पर ३ दिन का, उसकी स्त्री अथवा लड़के के मरने पर १ दिन का सूतक शिष्य को लगता है। यज्ञोपवीत करके वेद पढ़ाने वाले गुरु को आचार्य कहते हैं। वेद का एक भाग पढ़ाने वाले गुरु को उपाध्याय कहते हैं। उपाध्याय मरे तो शिष्य को १ दिन का सूतक लगता है।

शिष्यस्य स्वोपनीतस्य मरणे गुरोस्त्रिरात्रम्। परोपनीतस्य मरणे तु एकारात्रम्।

यज्ञोपवीत हुआ शिष्य मरे तो यज्ञोपवीत करने वाले गुरु को ३ दिन का और दूसरे ने यज्ञोपवीत किया हो तो गुरु को १ दिन का सूतक लगता है।

सहाध्यायिनोर्मृतौ एकग्रामीणयोरनूचानश्रोत्रिययोर्मृतौ त्वैकाहः। साङ्गवेदाध्यायी अनूचानः। वेदमात्राध्यायी श्रोत्रियः। अध्ययनशब्दार्थस्यार्थज्ञानपर्यवसायित्वं न्यायसिद्धम्।

साथ पढ़ने वाला और एक गाँव का अनूचान[1] या श्रोत्रिय[2] मरे तो साथी को १ दिन का सूतक लगता है।

असपिण्डस्यापि श्रोत्रियस्य मैत्र्यादिसंबद्धस्य यद्गृहे मरणं तद्गृहस्वामिन एकरात्रम्।

अगर किसी का साथी श्रोत्रिय हो और वह उसका सपिण्ड न हो तो वह जिसके घर में मरे उसको १ दिन का सूतक लगता है।

१–व्याकरण आदि अङ्ग के सहित जो वेद पढ़ता है, उसको अनूचान कहते हैं।

२–वेद जो केवल अर्थ के सहित पढ़ता है, उसको श्रोत्रिय कहते हैं।

वानप्रस्थे यतौ षण्ढे च मृते, युद्धे च मृते सपिण्डानां स्नानमात्रम् ।

वानप्रस्थ[१] यति, हिजड़ा और जो लड़ाई में मरे हों—इनके सपिण्डों की नहाने से शुद्धि हो जाती है।

अथातिक्रान्ताशौचम्

[जिसका जिसको जितने दिन सूतक कहा गया है उतने दिन बीतने के बाद उसके मरने का समाचार मालूम होने पर जितना अशौच लगे, उसको "अतिक्रांताशौच" कहते हैं।]

जनने मृतके चाऽतिक्रान्ताशौचम्

(सौरी और सूतक में अतिक्रान्ताशौच)

तत्र जननेऽतिक्रान्ताशौचं नास्ति। पितुः स्नानं तत्रापि भवति। मृतकेऽपि अनुपनीतमरणादिनिमित्तकत्रिरात्रादिषु भगिनीमातुलादिमरणनिमित्तकत्रिरात्रादिषु चातिक्रान्ताशौचं नास्ति। किन्तु दशाहादिमृताशौचविषयमेव ।

सौरी का अतिक्रान्ताशौच नहीं लगता, लेकिन पिता को नहान लगता है। सूतक में भी जिनके मरने में १ दिन, १॥ दिन या ३ दिन का सूतक लगता है उनके मरने का समाचार उतने दिन बीतने के बाद सुनने से अतिक्रान्ताशौच नहीं लगता, बल्कि केवल नहान लगता है। अतिक्रान्ताशौच केवल १० दिन के सूतक वालों को लगता है।

दशाहमध्ये जनने मरणे वा ज्ञातेऽशौचम्

(दस दिन के भीतर सौरी या सूतक जानने पर अशौच)

दशाहमध्ये जनने मरणे ज्ञाते वा पुत्रादीनां च सर्वेषां शेषेणैव

१—जो तीसरे आश्रम का धर्म्म पालन करता है अर्थात् पोता होने के बाद गृहस्थी छोड़ वन में जाकर तप वगैरह करता है वह वानप्रस्थ कहलाता है।

शुद्धिः। संस्कारमपि शेषेणैव समापयेत्। अस्थिपर्णशरसंस्कारमपि शेषेणैव समापयेत् ।

१० दिन के भीतर अगर कोई दूसरी सौरी या सूतक आ जाय तो लड़का वगैरह सब सपिण्डों की शुद्धि उस पहले अशौच के समाप्त होने से ही होती है। क्रिया, कर्म और पुत्तलविधान वगैरह भी सब उसी १० दिन के बाकी दिनों में समाप्त करे।

आद्यत्रिरात्रमध्ये समानोदकमरणे ज्ञाते समानोदकानां शेषेणैव शुद्धिः। त्रिरात्रेऽतिक्रान्ते तु दशाहमध्ये ज्ञातेऽपि नाशौचं किं तु स्नानमात्रम्। अयमेव न्यायः मातुलादित्रिरात्रादिषु ज्ञेयः ।

समानोदक और मामा वगैरह को जिनका १॥ दिन या ३ दिन का सूतक है उसके भीतर वैसा ही कोई दूसरा सूतक आ जाने से उतने ही दिन में शुद्धि हो जाती है। अगर ३ दिन के बाद और १० दिन भीतर भी आ जाय तो सूतक नहीं लगता, सिर्फ नहान लगता है।

मातापित्रोर्मरणे दूरदेशेऽपि संवत्सरानन्तरमपि श्रवणे पुत्रो दशाहादि पूर्णमेवाशौचं कुर्यात् ।

माता-पिता का दूर देश में मरण हो और वर्ष दिन के बाद भी उसको सुने तो (लड़का) पूरा १० दिन का सूतक माने।

स्त्रीपुंसयोः परस्परमरणे परस्परं देशान्तरे वत्सरान्तरेऽपि पूर्णं दशाहादि भवति ।

ऐसे ही स्त्री अपने पति का या पुरुष अपनी पत्नी का मरना दूर देश में अथवा वर्ष दिन के बाद भी सुने तो पूरा १० दिन का सूतक माने।

सपत्नीषु परस्परमृतौ परस्परस्य देशकालानपेक्षं दशाहादि पूर्णमेवाशौचं भवति ।

ऐसे ही सौत का मरना जब और जहाँ सुने तो (दूसरे सौत को) पूरा १० दिन का सूतक लगता है।

सापत्नमातुर्मरणे संवत्सरोर्ध्वमपि देशान्तरेऽपि त्रिरात्रम्।

ऐसे ही सौतेली माँ का अतिक्रान्ताशौच (लड़के को) ३ दिन का होता है।

औरसपुत्रे मृते संवत्सरोर्ध्वमपि देशान्तरेऽपि मातापित्रोस्त्रिरात्रम्।

ऐसे ही अपने लड़के के मरने का समाचार दूसरे देश में वर्ष दिन के बाद भी सुने तो माता-पिता को ३ दिन का सूतक लगता है।

दशाहोर्ध्वमेकदेशे ज्ञातिमरणे ज्ञातेऽशौचम्

(दस दिन के बाद एक देश में ज्ञाति का मरण जानने पर अशौच)

दशाहोर्ध्वमेकदेशे ज्ञातिमरणे ज्ञाते मासत्रयपर्यन्तं त्रिरात्रं, षण्मासपर्यन्तं पक्षिणी, नवमासपर्यन्तमेकदिनं, तदनन्तरं स्नानमात्रमिति वृद्धवसिष्ठः। पक्षत्रयपर्यन्तं त्रिरात्रम्। षण्मासपर्यन्तं पक्षिणी। वर्षपर्यन्तमेकरात्रं, तदूर्ध्वं स्नानमात्रमिति माधवे देवलः। अत्रापदनापद्विषयत्वेन व्यवस्था द्रष्टव्या।

१० दिन के बाद एक देश में (ऊपर कहे हुए लोगों के अतिरिक्त) किसी सपिण्ड का मरना ३ महीने के भीतर सुने तो ३ दिन का सूतक लगता है, ६ महीने के भीतर सुने तो १॥ दिन का, ९ महीने के भीतर सुने तो १ दिन का और इसके बाद सुने तो केवल नहान लगता है—ऐसा वसिष्ठ जी का मत है। लेकिन देवल का मत है कि १॥ महीने तक ३ दिन का सूतक लगता है, ६ महीने तक १॥ दिन,बरस दिन तक १ दिन का और इसके बाद केवल नहान लगता है। इसमें आपत्-अनापत् विषय से व्यवस्था जाननी चाहिये।

दशाहोर्ध्वं देशान्तरे ज्ञातिमरणे ज्ञातेऽशौचम्

(दस दिन के बाद दूसरे देश में ज्ञाति का मरण जानने पर अशौच)

दशाहोर्ध्वं देशान्तरे ज्ञातिमरणे ज्ञाते त्रिपक्षपर्यन्तं त्रिरात्रम्। ततो षण्मासपर्यन्तमहोरात्रम्। ततो वर्षपर्यन्तं दिवाश्रवणे आसायं, रात्रिश्रवणे आप्रातराशौचम्। वत्सरानन्तरं तु स्नानाच्छुद्धिः। इदं सर्वमतिक्रान्ताशौचं सर्ववर्णसाधारणम्। अत्र देशान्तरे ज्ञातिमरणे ज्ञाते स्नानाच्छुद्धिरिति केचित्। तन्माधवोदाहृतविष्णुस्मृत्यज्ञानविलसितमिति ज्ञेयम्। देशान्तरं तु विप्रस्य विंशतियोजनात्परं, क्षत्रियस्य चतुर्विंशतियोजनात्परं, वैश्यस्य सच्छूद्रस्य च त्रिंशद्योजनात्परम्,असच्छूद्रस्य षष्टियोजनात्परं ज्ञेयम्। पक्षान्तराणि तु उक्तपक्षानुसारेण ज्ञातव्यानि।

१० दिन के बाद दूसरे देश में सपिण्ड का मरना सुन पड़े तो ४५ दिन तक ३ दिन का सूतक लगता है, उसके बाद ६ महीने तक १ दिन का और उसके बाद बरस दिन तक अगर दिन को सुने तो साँझ तक (तारा देखने तक) और रात को सुने तो सबेरे (सूर्योदय) तक सूतक रहता है; साल भर के बाद सुने तो नहाने से ही शुद्धि होती है। किसी का यह मत है कि देशांतर में ज्ञाति (सगोत्रिय) का मरना सुने तो स्नान ही से शुद्धि हो जाती है, यह कुछ ठीक नहीं है। ऐसा कहने वाले ने माधव में जो विष्णुस्मृति का वचन है; उसको नहीं समझा है। यह सब अतिक्रान्ताशौच चारो वर्णों के लिये समान है।

ब्राह्मण के लिये ८० कोस से ऊपर हो तो देशान्तर समझना चाहिये, क्षत्रिय के लिये ९६ कोस के ऊपर, वैश्य और सच्छूद्र के लिये १२० कोस के ऊपर और असच्छूद्र के लिये २४० कोस के ऊपर देशान्तर समझना चाहिये। और भी ऐसे जो पक्षान्तर हैं वे ऊपर के पक्ष के हिसाब से समझे जायँ।

अत्रायं निष्कर्षः। यानि एकगोत्रविषयकजननमरणातिक्रान्ताशौचानि तानि जायापतिभ्यामुभाभ्यामविशेषेणानुष्ठेयानि। यानि पुनर्भगिनीमातुलादिभिन्नगोत्राशौचानि तेषु जायापतिमध्ये यत्सम्बन्धि यत्तत्तेनैवानुष्ठेयं नोभाभ्यामिति।

एक गोत्र का जो जनन-मरण संबंधी अतिक्रान्ताशौच है वह पति और पत्नी—दोनों को बराबर लगता है और जो दूसरे गोत्र के मामा और बहिन वगैरह हैं—उनका अशौच पत्नी की तरफ का हो तो पत्नी और पति की तरफ का हो तो पति पाले। यही शास्त्र का सार है।

आहिताग्नेर्मन्त्रवद्दाहदिनमारभ्य पुत्रादिभिराशौचं कार्यम्। आहिताग्नौ प्रेषिते मृते मन्त्रवद्दाहात्पूर्वं पुत्रादीनामाशौचं सन्ध्यादीनां कर्मलोपश्च नास्ति।

अगर अग्निहोत्री[1] मरे तो लड़का वगैरह उसका सूतक जिस दिन उसका मन्त्र के साथ दाह हो उस दिन से माने और अगर वह प्रवास में मरे तो उसके मन्त्रपूर्वक दाह के पूर्व लड़का वगैरह को सूतक नहीं लगता और वे सब सन्ध्या आदि कर्म भी करें।

अनाहिताग्नेस्तु मरणदिनमारभ्य पुत्रादिभिराशौचं कार्यम्।

जो अग्निहोत्री नहीं हैं, उनका मरने के दिन से सूतक लड़का वगैरह मानें।

रात्रौ जनने मरणे वाशौचम्

(रात को सौरी या सूतक लगने पर अशौच)

अथ रात्रौ जनने मरणे वा रात्रिं त्रिभागां कृत्वाऽऽद्यभागद्वये चेत्पूर्वदिनं तृतीयभागे चेदुत्तरदिनमारभ्याशौचं कार्यम्। अर्धरात्रात्पूर्वं पूर्वदिनं, परत उत्तरदिनम्। प्राक् सूर्योदयात्पूर्वदिनमूर्ध्वमुत्तरदिनमिति पक्षत्रयं देशाचारतो व्यवस्थितम्। महाराष्ट्रदेशे तु आद्यपक्ष एव प्रचरति।

रात को कोई मरे या पैदा हो तो रात के तीन हिस्से करने पर पहले दो हिस्से में जो मरे या पैदा हो तो उस दिन को लेकर अशौच के दिन की गिनती होती है और तीसरे हिस्से में पैदा हो या मरे तो दूसरे दिन से गिनती होती है (यह एक मत है)। दूसरा मत यह है कि आधी रात तक पहला दिन समझा जाता है और आधी रात के बाद दूसरा दिन। तीसरा मत यह है कि सूर्योदय के पूर्व पहला दिन और सूर्योदय के बाद दूसरा दिन समझा जाता है। इन तीनों मतों में जिस देश में जैसी प्रथा हो वहाँ वैसे करें। महाराष्ट्र देश में प्रथम मत मानते हैं।

अथाशौचसम्पाते निर्णयः

[एक अशौच के मध्य दूसरा अशौच आने पर निर्णय]

दशाहादिमृतकसूतकादिसंपाते निर्णयः

(एक सौरी या सूतक के बीच में दूसरी सौरी या सूतक के होने की विधि)

तत्र दशाहमृतके दशाहं ततो न्यूनं वा मृतकमुपस्थितं भवति तदा पूर्वशेषेण शुद्धिः।

अगर १० दिन के सूतक के भीतर १० दिन का अथवा उससे कम का दूसरा सूतक आ जाय तो पहले ही सूतक के साथ वह भी छूट जाता है।

दशाहे सूतके दशाहं ततो न्यूनं वा सूतकं पतति तदा पूर्वशेषेणैव शुद्धिः।

अगर १० दिन की सौरी के भीतर १० दिन अथवा उससे कम की दूसरी सौरी आ जाय तो पहले के साथ वह भी छूट जाती है।

सूतकमध्ये दशाहं न्यूनं वा मृतकं पतति तदा तस्य न पूर्वशेषेण शुद्धिः। तत्र सूतकस्यावशिष्टत्वे तु मृतकसमाप्त्या सूतकमपि समापनीयम्।

१—जो रोज दूध-घी वगैरह से आग में होम करे और सन्ध्या को अग्नि देवता को और सबेरे सूर्य को यजन करे, वह अग्निहोत्री कहलाता है।

१० दिन की सौरी में १० दिन या उससे कम का सूतक आ जाय तो सूतक के साथ सौरी समाप्त होती है, सौरी के साथ सूतक नहीं।

त्र्यहादिरूपे मृतके सूतके च दशाहमृतकपाते च दशाहसूतकपाते च पूर्वशेषेण शुद्धिर्नास्ति।

१॥ दिन, ३ दिन आदि के जो छोटे सूतक या सौरी हैं, उनमें दूसरा १० दिन का सूतक अथवा १० दिन की सौरी आ जाय तो पहले सूतक या सौरी के बाकी के दिन से दूसरे सूतक या सौरी की शुद्धि नहीं होती।

मृतके सूतकस्य समस्य न्यूनस्य वा संपाते पूर्वेण शुद्धिः। अधिकस्यापि सूतकस्य शुद्धिरिति शुद्धिविवेककारः।

सूतक में उससे छोटी या उसके बराबर की सौरी आ जाय तो सूतक के साथ सौरी भी समाप्त हो जाती है। शुद्धिविवेककार का मत है कि अगर बड़ी सौरी भी आ जाय तो उसकी भी सूतक के साथ शुद्धि हो जाती है।

दशाहान्त्यरात्रौ यदि दशाहमाशौचं पतति तदा दिनद्वयमधिकं कार्यम्। पूर्वाशौचमध्ये उत्पन्नमपि पूर्वाशौचोत्तरं ज्ञातं चेदुत्तरमपि कार्यम्। दशाहान्त्यरात्रिचतुर्थयामे यदि दशाहमाशौचं पतेत्तदा दिनत्रयमधिकं कार्यम्।

दसवें दिन के रात को अगर १० दिन का दूसरा अशौच आ जाय तो २ दिन और अशौच बढ़ जाता है। प्रथम अशौच में आया हुआ दूसरा अशौच अगर पहला अशौच बीतने के बाद मालूम हो तो यह अशौच भी पूरा मानना चापिये। दसवें दिन केरात के चौथे पहर में अगर १० दिन का दूसरा अशौच आ जाय तो ३ दिन और अशौच बढ़ जाता है।

त्र्यहाद्याशौचानां परस्परं रात्रिशेषे सम्पाते पूर्वेणैव शुद्धिः, न द्व्यहादिवृद्धिः।

३ दिन वगैरह के जो अशौच हैं उनके रात के अन्त में अगर उसी तरह के दूसरे अशौच आ जायँ तो पहले के साथ ही इनकी भी शुद्धि हो जाती है। २ या ३ दिन बढ़ नहीं जाते।

वर्धिते द्वित्रिदिनमध्ये आशौचान्तरसम्पाते च अधिकस्य पूर्वेण शुद्धिर्नास्ति। समन्यूनयोस्तु पूर्वेण शुद्धिः।

बढ़ा हुआ जो २ या ३ दिन का अशौच है उसमें अगर बड़ा दूसरा अशौच आ जाय तो उसकी शुद्धि इससे नहीं होती, बराबर का या छोटा आवे तो हो जाती है।

सपिण्डाशौचेन मातृपितृभर्तृणामाशौचं नापैति।

सपिण्ड के अशौच से माता-पिता और पति का अशौच नहीं मिटता।

मात्राशौचमध्ये पित्राशौचपाते पूर्वशेषेणैव शुद्धिः। पितुः सम्पूर्णाशौचेन शुद्धिरित्यन्ये, तेषां शेषपदे लक्षणापत्तिः।

माता के सूतक में अगर पिता का सूतक आ जाय तो पहले सूतक के साथ दूसरे सूतक की भी शुद्धि हो जाती है। किसी-किसी का मत है कि पिता का भी पूरा सूतक माने, लेकिन यह मत ठीक नहीं है।

पित्राशौचमध्ये मातृमरणे तु पित्राशौचं समाप्य पक्षिणीमधिकां कुर्यात्। इदं दशमरात्रेरर्वाग्भवति, दशमरात्र्यां तद्रात्रिचतुर्थयामे तु मातृमरणे द्वित्र्याहाण्येव न पक्षिणी।

पिता के सूतक में दसवें रात के पहले अगर माँ की मृत्यु हो जाय तो पिता के सूतक के बाद १॥ दिन का और सूतक माने, अगर दसवें की रात को माँ मरे तो २ दिन का और अगर उस रात के चौथे पहर में मरे तो ३ दिन का और सूतक लगता है।

मातुर्भर्त्रा सह गमने तु नाधिका पक्षिणी।

अगर पिता के साथ माँ सती हो जाय तो १॥ दिन का ज्यादा सूतक नहीं लगता।

पूर्वाशौचेन शुद्धिः सूतिकायामग्निदे प्रेतपुत्रेषु च नास्ति । अत्र प्रेतपुत्रेति पुनर्ग्रहणं वचनान्तरानुरोधेन ।

सौरी में स्थित स्त्री की और दाह करने वाले की शुद्धि पहले अशौच के साथ नहीं होती ।

सूतके मृतकपाते पिण्डदाने प्रतिबन्धो नास्ति । मृतके सूतकसम्पाते जातकर्मादि तदानीमाशौचान्ते वा कुर्यात् इति विकल्पः ।

सौरी में सूतक आवे तो पिण्ड होता है और सूतक में सौरी आवे तो जातकर्म आदि चाहे सूतक में करें, चाहे सूतक छूटने पर ।

मातुर्याऽधिका पक्षिणी तन्मध्ये पितुरेकादशाहश्राद्धं कुर्यात् ।

मां के मरने में जो १॥ दिन का ज्यादा सूतक होता है, उसमें पिता का ग्यारहवाँ करे ।

शवस्पर्शेऽशौचम्

(मुर्दा छूने से अशौच)

शवस्पर्शे तु दिवा चेन्नक्षत्रदर्शनाच्छुद्धिः । रात्रौ चेत्सूर्यदर्शनात् । तदन्नाशने तद्गृहवासे च यावत्तेषामाशौचं तावदाशौचम् । संसर्गाशौचे कर्मानधिकारो नास्ति । किं तु अस्पृश्यत्वमात्रम् । तद्गृह्याणां तद्द्रव्याणां नाशौचसम्बन्धः ।

अगर दिन को मुर्दे का स्पर्श करे तो तारा देख कर शुद्धि होती है और रात को स्पर्श करे तो सूर्य देख कर शुद्धि होती है। अगर सुतकिये के घर में रहे या उसका अन्न खाता हो तो सुतकिये के बराबर उसको भी सूतक लगता है। लेकिन ऐसे सूतक में खाली छूत रहता है, लेकिन कर्म करने का अधिकार रहता है। उसके घर के लोगों को और चीजों का सूतक से कोई सम्बन्ध नहीं रहता।

सवर्णनिर्हरणादावाशौचम्

(प्रेतकर्म्म करने में अशौच)

स्नेहेन सवर्णनिर्हारे तदन्नाशने तद्गृहवासे च दशाहः । तदन्नानशने तद्गृहवासे च त्र्यहः । अगृहवासेऽनाभक्षणे निर्हरणमात्रे कृते चैकाहः ।

स्नेह से अपने जाति का मुर्दा ले जाय और सुतकिये के घर में रहे और उसका अन्न खाय तो १० दिन का सूतक लगता है और उसके घर में केवल रहे, उसका अन्न न खाय तो सिर्फ ३ दिन का सूतक लगता है; और अगर केवल मुर्दा ले गया हो और उसका अन्न भी न खाय और उसके घर में भी न रहे तो १ दिन का सूतक लगता है ।

भृतिग्रहणे सवर्णनिर्हारे दाहे च तज्जात्याशौचं दशाहादि ।

कुछ द्रव्य लेकर जाति का मुर्दा ले जाय और फूंके तो (पूरा) १० दिन आदि का सूतक लगता है ।

विजातीयनिर्हारे विजातीयदाहे च शवजातीयमाशौचम् । भृतिग्रहणे विजातीयनिर्हारे दाहे च शवजातीयाद् द्विगुणम् । सोदकनिर्हारे दशाहः ।

दूसरे जाति का मुर्दा ले जाय और फूंके तो जिस जाति का मुर्दा है उस जाति का पूरा सूतक लगता है और अगर कुछ लेकर ले जाय और फूंके तो उसका दूना सूतक लगता है। सोदक का मुर्दा ले जाय तो १० दिन का सूतक लगता है ।

असपिण्डालङ्करणे अज्ञानादुपवासः । अशक्तौ स्नानम् । ज्ञानतः पादकृच्छ्रम् ।

असपिण्ड के मुर्दे को जो बिना जाने नहलावे और चन्दन इत्यादि लगावे तो उपवास करने से शुद्धि होती है, अगर उपवास न कर सके तो

केवल नहाने से ही शुद्धि हो जाती है और अगर जान-बूझ कर करे तो पादकृच्छ्र[1] (प्रायश्चित्त) लगता है।

धर्मार्थमनाथसवर्णनिर्हरणे क्रियाकरणेऽग्निदाने च द्विजस्य अनन्तयज्ञफलं, स्नानाच्छुद्धिः, प्राणायामोऽग्निस्पर्शश्च ।

धर्मार्थ अपनी जाति का अनाथ (लावारिस) मुर्दा ले जाय और दाह वगैरह करे तो उसको अगर वह द्विज हो तो बहुत से यज्ञ का फल होता है और शुद्धि नहाने से हो जाती है, उसके बाद आग छू ले और प्राणायाम[2] कर ले तो।

धर्मार्थमनाथसवर्णनिर्हरणादावपि मातुलादिसम्बन्धे सति त्रिरात्रमाशौचम् ।

धर्मार्थ अपने अनाथ मामा आदि को ले जाकर फूंके तो ३ दिन का सूतक लगता है।

अनुगमनेऽशौचम्

(मुर्दा के साथ जाने से अशौच)

अनुगमने तु सपिण्डे न दोषः, असपिण्डेऽपि अनाथक्रियायां न दोषः ।

सपिण्ड के मुर्दे के साथ श्मशान तक जाय अथवा जो सपिण्ड न भी हो लेकिन अनाथ हो, ऐसे मुर्दे का क्रिया करे तो कुछ दोष नहीं होता।

समोत्कृष्टवर्णीयशवानुगमने स्नात्वा हुताशं स्पृष्ट्वा सर्पिः प्राश्य पुनः स्नात्वा प्राणायामं कुर्यात् । हीनवर्णशवानुगमने क्षत्रिये एकाहः । वैश्ये पक्षिणी । शूद्रे त्रिरात्रं पूर्ववत्स्नानादि च ।

१. शांतपन चान्द्रायण आदि प्रायश्चित्तविशेष का नाम कृच्छ्र है।

२. मन में गायत्री जपते हुए एक नाक से सांस खींच कर दोनों नाक बन्द करके साँस रोक कर गायत्री जपते हुए दूसरे नाक से साँस छोड़ने को [पूरक-कुम्भक-रेचक को] प्राणायाम कहते हैं।

ब्रह्मचारी को सपिण्ड के मरने में सूतक नहीं लगता। दूसरे का मुर्दा ले जाने, जलाने या क्रिया करने में उसको अधिकार नहीं है, ऐसा करे तो फिर यज्ञोपवीत कर ले और कृच्छ्र प्रायश्चित्त करे।

ब्रह्मचारिणोऽशौचम्

(ब्रह्मचारी का अशौच)

ब्रह्मचारिणः सपिण्डमरणे नाशौचम् । अन्यस्य निर्हारदाहाद्यौर्ध्वदेहिकेऽधिकारो नास्ति । तत्करणे पुनरुपनयनं कृच्छ्रप्रायश्चित्तम् ।

अपने बराबर के या अपने से ऊँची जात के मुर्दे के साथ श्मशान तक जाय तो नहाकर आग छूकर घी पीकर फिर नहा कर प्राणायाम करे। अगर क्षत्रिय के मुर्दे के साथ ब्राह्मण जाय तो १ दिन का सूतक लगता है, वैश्य के मुर्दे के साथ ब्राह्मण या क्षत्रिय जाय तो १॥ दिन का और शूद्र के मुर्दे के साथ ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य जाय तो ३ दिन का सूतक लगता है और ऊपर जैसा कहा गया है, नहान वगैरह भी लगता है।

ब्रह्मचारिणः पितृमात्राचार्योपाध्यायमातामहानामन्त्यकर्मकरणे न दोषः, तत्र दशाहमस्पृश्यत्वलक्षणमाशौचम् । दशदिनं सन्ध्याग्निकार्यादिकर्माधिकारोऽस्त्येव । एकदिनमस्पृश्यत्वमिति माधवः । पित्राद्याशौचेऽपि नाशौचिनामन्नं ब्रह्मचारी भक्षयेत् । भक्षणे तु पुनरुपनयनम् ।

ब्रह्मचारी को माता, पिता, आचार्य, उपाध्याय और नाना की क्रिया करने में दोष नहीं है, उसमें १० दिन का सूतक लगता है और छूत रहता है, लेकिन सन्ध्या आदि कर्मों का अधिकार रहता है। उसमें १ दिन का छूत रहता है—ऐसा माधव का मत है। पिता आदि के सूतक में भी सुतकिये का अन्न ब्रह्मचारी न खाय, अगर खाय तो फिर से यज्ञोपवीत ले।

ब्रह्मचारिणः पित्राद्यन्तकर्माकरणे तु पित्रादिमरणेऽपि नाशौचम् । समावर्त्तनोत्तरं पूर्वमृतानां त्रिदिनमाशौचं कार्यमेव ।

ब्रह्मचारी अगर पिता आदि की क्रिया न करे तो उसको उनके मरने का सूतक भी नहीं लगता। समावर्त्तन के बाद पहले मरे हुए पिता आदि का ३ दिन सूतक जरूर माने।

कृतजीवच्छ्राद्धस्याशौचम्

(जिसने अपना श्राद्ध स्वयं किया हो उसका अशौच)

कृतजीवच्छ्राद्धेन किमप्याशौचं न कार्यमिति हेमाद्रिः।

जिसने अपने जीते-जी अपना श्राद्ध आदि कर लिया है उसको कुछ भी सूतक नहीं लगता—ऐसा हेमाद्रि ने कहा है।

वानप्रस्थादीनामशौचम्

(वानप्रस्थ आदि लोगों का अशौच)

वानप्रस्थयतिपतितैरपि किमप्याशौचं न कार्यम्। तेषामपीतरैर्न कार्यम्।

वानप्रस्थ, संन्यासी और पतित (जो जात से निकाला गया है) इनको कोई सूतक नहीं लगता और इनका सूतक भी कोई न माने।

और्ध्वदेहिककरणेऽशौचम्

(अन्त क्रिया करने से अशौच)

परेषां सवर्णानामौर्ध्वदेहिककरणे तज्जात्याशौचं कृत्वा कृच्छ्रत्रयाच्छुद्धिः। हीनवर्णौर्ध्वदेहिककरणे तु शवजातीयमाशौचं कृत्वा कृच्छ्रत्रयद्वैगुण्याद्यूह्यम्।

(सपिण्ड के अतिरिक्त) अपने जात के दूसरे किसी का (या अपने से ऊँचे जाति के मुर्दे का) क्रिया-कर्म्म करे तो उस जाति का पूरा सूतक मान कर ३ कृच्छ्र करे, तब शुद्धि होती है और अगर अपने से नीच जाति के मुर्दे का क्रिया-कर्म्म करे तो उस जाति का सूतक मान कर जाति के निचाइ के हिसाब से ६। ९। १२ कृच्छ्र करे।

आहिताग्न्यादेर्दाहादौ पूर्वं गृहीतागृहीताशौचस्य पत्न्यादेराशौचम्

(पुतल विधान इत्यादि में अशौच)

आहिताग्नेरस्थिदाहे प्रतिकृतिदाहे वा सर्वसपिण्डानां दशाहाद्याशौचम्। अनाहिताग्नेस्तु अस्थिदाहे पर्णशरदाहे च पत्नीपुत्रयोः पूर्वमगृहीताशौचयोः दशाहादि पूर्णमेव। गृहीताशौचयोस्तु तयोरपि संस्कारकाले त्रिरात्रम्। पत्नीसंस्कारे पत्युश्चैवं, सपत्न्योर्मिथश्चैवम्। अन्यसपिण्डानां पूर्वमगृहीताशौचानामनाहिताग्निसंस्कारकाले त्रिरात्रम्। पूर्वंगृहीताशौचानां तु सपिण्डानां संस्कारकाले स्नानमात्रम्। इदं त्रिरात्रादिकं दशाहोर्ध्वं संस्कारकरणे ज्ञेयम्। दशाहमध्ये तु शेषदिवसैरेवाशौचसिद्धेरुक्तत्वात्।

अग्निहोत्री का हाड़ जलावे या उसका पलाश आदि का पुतला बनाकर जलावे तो सब सपिण्डों को १० दिन वगैरह का सूतक लगता है। अगर अग्निहोत्री न हो और उसका हाड़ जलावे या पलाश आदि का पुतला जलावे तो स्त्री और लड़के को (उस दिन से) १० दिन का पूरा सूतक लगता है। अगर ये लोग सूतक पहले न मान चुके हों; और मान चुके हों तो उस संस्कार में (क्रिया के दिन से) ३ दिन का सूतक लगता है। ऐसे ही स्त्री के संस्कार (क्रिया) में पति को और सौत के संस्कार में सौत को लगता है। इनके अतिरिक्त जो दूसरे सपिण्ड हैं वे अगर पहले सूतक न मान चुके हों तो उनको जो अग्निहोत्री न हो उसके संस्कार में ३ दिन का सूतक लगता है और अगर पहले सूतक मान चुके हों तो सपिण्डों को उस संस्कार में सिर्फ नहान लगता है। ये सब जो ३ दिन वगैरह के सूतक हैं वह १० दिन के बाद जो संस्कार होता है, उसके लिये हैं, क्योंकि १० दिन के भीतर होने से बाकी के दिनों से सूतक पूरा हो जाता है—ऐसा पहले ही कह चुके हैं।

अथ रजोदर्शनम्

(स्त्री का मासिक धर्म)

रजोदर्शनेऽशौचम्

(मासिक धर्म्म में स्त्री का अशौच)

रजस्वलायास्तु यस्या विंशतिदिनोत्तरं प्रायसो रजोदर्शनं भवति तस्याः सप्तदशदिनपर्यन्तं पुनः रजोदृष्टौ स्नानमात्रम्, अष्टादशे एकरात्रम्, नवदशे द्विरात्रम्, विंशतिदिनप्रभृति दिनत्रयम्। यस्यास्तु विंशतिदिनादर्वाक्प्रायशो रजोदर्शनं भवति तस्याः दशदिनपर्य्यन्तं स्नानमात्राम्, एकादशे एकरात्राम्, द्वादशे द्विरात्राम्, त्रयोदशादारभ्य त्रिरात्राम्।

इति श्रीमदाङ्गिरसमुद्गलकुलजलधिसुधांशुपदवाक्यप्रमाणपारा-
वारीणयायजूकशिरोरत्ननारायणात्मजरघुनाथसूरिसूनु-
त्र्यंबकपण्डितविरचिताशौचनिर्णयः समाप्तः।

●

जो स्त्री २० दिन पर अकसर बैठती है वह अगर १७ दिन के भीतर बैठे तो नहाने से शुद्ध हो जाती है, और अठारहवें दिन बैठे तो १ दिन, उन्नीसवें दिन बैठे तो २ दिन और बीसवें दिन या उसके बाद बैठे तो ३ दिन तक उसको छूत रहता है। जो स्त्री २० दिन के भीतर अकसर बैठती है, वह अगर १० दिन के भीतर बैठे तो नहाकर शुद्ध हो जाती है और ग्यारहवें दिन बैठे तो १ दिन, बारहवें दिन बैठे तो २ दिन और तेरहवें दिन या उसके बाद बैंठे तो ३ दिन तक उसको छूत रहता है।

(अत्र मूलवचनानि मिताक्षरामाधवादिनिबन्धेभ्यो ज्ञेयानि, विस्तरभियाबालानां दुरधिगमत्वाच्च न लिखितानि।)

(इस पुस्तक में जितनी बातें कहीं गई हैं उन सब का प्रमाण-वचन-मिताक्षरा-पराशर-माधव वगैरह ग्रन्थों में दिया गया है। विस्तार हो जाने और कठिन हो जाने के भय से यहाँ नहीं दिया गया है)।

इति त्र्यम्बक पण्डितकृत अशौचनिर्णय समाप्त हुआ।

●

परिशिष्टम्

अथ मरणान्तसूतकी

(मरणान्तसूतक)

व्याधितस्य कदर्यस्य ऋणग्रस्तस्य सर्वदा।
क्रियाहीनस्य मूर्खस्य स्त्रिजितस्य विशेषतः॥
व्यसनासक्तचित्तस्य पराधीनस्य नित्यशः।
श्रद्धात्यागविहीनस्य भस्मान्तं सूतकं भवेत्॥
(दक्षस्मृति—५, ६-१०)

(मरणान्त सूतकी)

जो सदा रोगी रहता है अथवा अत्यन्त कृपण या ऋणि है अथवा अत्यन्त कर्महीन, मूर्ख या विषयी है, किंवा बड़ा व्यसनी अथवा पराधीन है अथवा (शास्त्रोक्त विधि में) श्रद्धा और (निषेध में) त्याग से रहित है वह मरने तक सूतकी रहता है।

अथ वपनविधिः

(क्षौर का नियम)

वर्षीयस्युद्गते तूपरि वपननखच्छेदनं सूतकान्ते
मध्ये वा केचिदूचुः पितृपरमगुरुष्वेव वापादि नित्यम् ।
अत्र स्मार्तं शुभार्थे भणितमभणितं तत्स्वगृह्यैर्विदित्वा
कृत्वा दानं च दद्यादशुभभयभिदे भूसुरेभ्यः शुभार्थे ॥

(त्रिशच्छ्लोक्याः श्लो० २९)

इति शम् ॥

वृद्ध के मरने से सूतक बीतने पर (दसवें दिन आदि में लड़का इत्यादि) नाखून कटवावे और बाल वगैरह बनवावे; किसी का मत यह है कि सूतक के बीच में (दूसरे, तीसरे, पांचवें या सातवें दिन) क्षौर कर्म करावे। पिता-माता, परम गुरु आदि के मरने पर (लड़का आदि) अवश्य मूंछ वगैरह बनवावे। इसमें शुभ के लिये स्मृति का जो विधान कहा गया है या नहीं कहा गया है वह सब अपनी शाखा के लोगों से जान कर करे और इस के बाद अशुभ का भय दूर करने के लिये मङ्गलार्थ ब्राह्मणों को कुछ दान करे।

(त्रिशच्छ्लोकी—२९)

॥ इति शुभम् ॥